

:: ज्ञापन ::

क्रमांक / प्रति, / मु.लि. / 2019 उदयपुर दिनांक 05.08.2019.

उप नियंत्रक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
खैरागढ़ रोड, राजनांदगाँव, छ.ग.।

विषय :- राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में।

—0—

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-1, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के द्वारा सोहरा नाला व्यपवर्तन योजना के डूब एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम डांडगांव, तहसील उदयपुर, जिला सरगुजा की कुल 2.914 हेक्टेयर निजी भूमि का अर्जन किया जाना है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन हेतु अधिसूचना प्रारूप की तीन प्रतियाँ संलग्न प्रेषित है। राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना का प्रकाशन कराकर राजपत्र की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Sd/-
(प्रदीप कुमार साहू)
भू-अर्जन अधिकारी
उदयपुर, सरगुजा

पृ. क्र. / 1438 / मु.लि. / 2019 उदयपुर दिनांक 05.08.2019.
प्रतिलिपि :- 1. संचालक जनसंपर्क, महिला थाने के पास रायपुर को सूचनार्थ। अधिसूचना प्रारूप की पांच प्रतियाँ संलग्न प्रेषित है। दो स्थानीय समाचार-पत्रों में अधिसूचना का प्रकाशन कराकर समाचार-पत्र की एक-एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. कलेक्टर सरगुजा (भू-अर्जन शाखा) को सूचनार्थ एवं कलेक्टर महोदय के सूचना पटल पर प्रकाशनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 अम्बिकापुर सरगुजा को अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अम्बिकापुर को जिले की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
5. तहसीलदार उदयपुर को अधिसूचना की चार प्रतियाँ सहित प्रेषित। संबंधित ग्राम तथा तहसील कार्यालय उदयपुर के सूचना पटल पर अधिसूचना का प्रकाशन कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

[Signature]
भू-अर्जन अधिकारी
उदयपुर, सरगुजा

कार्यालय कलेक्टर, जिला सरगुजा एवं पदेन उपसचिव,
छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

:: प्रारंभिक अधिसूचना ::

दिनांक .07.2019.


रा.प्र.क्र./01/अ-82/2018-19 :: चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दिए अनुसूची के कॉलम (1) से (9) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (11) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 लिखा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम (10) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

:: अनुसूची ::


भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह.नं	अर्जन हेतु प्रस्तावि भूमि के खसरा एवं रकबा का विवरण						धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
			खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)	खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)	खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सरगुजा	उदयपुर	डांडगांव	702/4	0.444	690/3	0.012	757	0.064	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)	सोहरा नाला व्यपवर्तन योजना के डूब एवं नहर क्षेत्र हेतु
			103/1	0.021	672	0.109	690/2	0.052		
			104/2	0.097	775	0.113	758	0.052		
			111/8	0.053	774	0.061	764/2	0.004		
			106/2	0.049	771	0.081	754/1	0.072		
			682/1	0.069	762	0.032	753	0.049		
			682/2	0.028	768	0.002	769/5	0.149		
			681/1	0.057	784	0.243	770/1	0.024		
			680/1	0.045	775	0.020	741/12	0.072		
			680/2	0.036	760/2	0.121	741/19	0.032		
			673/1	0.061	759/1	0.049	741/10	0.247		
			673/4	0.085	741/2	0.052	770/3	0.028		
			673/2	0.032	761	0.041	741/18	0.056		

कुल खसरा क्रमांक 39 कुल रकबा 2.914 हेक्टेयर



2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराए गए सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उदयपुर को पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।



(प्रदीप कुमार साहू)
भू-अर्जन अधिकारी
उदयपुर, सरगुजा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(डॉ. सारांश मित्तर)
कलेक्टर सरगुजा

एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

:: ज्ञापन ::

क्रमांक / प्रति, /मु.लि./2019 उदयपुर दिनांक 05.08.2019.

उप नियंत्रक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
खैरागढ़ रोड, राजनांदगाँव, छ.ग.।

विषय :- राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में।

—0—


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-1, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के द्वारा कुदर बसवार व्यपवर्तन योजना के डूब एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम भकुरमा, तहसील उदयपुर, जिला सरगुजा की कुल 2.584 हेक्टेयर निजी भूमि का अर्जन किया जाना है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन हेतु अधिसूचना प्रारूप की तीन प्रतियाँ संलग्न प्रेषित है। राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना का प्रकाशन कराकर राजपत्र की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

sd

(प्रदीप कुमार साहू)
भू-अर्जन अधिकारी
उदयपुर, सरगुजा

- पृ. क्र./ प्रतिलिपि :- /मु.लि./2019 उदयपुर दिनांक 05.08.2019.
1. संचालक जनसंपर्क, महिला थाने के पास रायपुर को सूचनार्थ। अधिसूचना प्रारूप की पांच प्रतियाँ संलग्न प्रेषित है। दो स्थानीय समाचार-पत्रों में अधिसूचना का प्रकाशन कराकर समाचार-पत्र की एक-एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 2. कलेक्टर सरगुजा (भू-अर्जन शाखा) को सूचनार्थ एवं कलेक्टर महोदय के सूचना पटल पर प्रकाशनार्थ सादर सम्प्रेषित।
 3. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 अम्बिकापुर सरगुजा को अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अम्बिकापुर को जिले की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
 5. तहसीलदार उदयपुर को अधिसूचना की चार प्रतियाँ सहित प्रेषित। संबंधित ग्राम तथा तहसील कार्यालय उदयपुर के सूचना पटल पर अधिसूचना का प्रकाशन कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



भू-अर्जन अधिकारी
उदयपुर, सरगुजा
उदयपुर, सरगुजा

कार्यालय कलेक्टर, जिला सरगुजा एवं पदेन उपसचिव,
छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

:: प्रारम्भिक अधिसूचना ::

दिनांक 07.2019.

रा.प्र.क्र./ /अ-82/2018-19 :: चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दिए अनुसूची के कॉलम (1) से (9) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (11) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 लिखा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम (10) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

:: अनुसूची ::


भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह.नं	अर्जन हेतु प्रस्तावि भूमि के खसरा एवं रकबा का विवरण						धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
			खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)	खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)	खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सरगुजा	उदयपुर	भकुरमा	600	0.287	597	0.085	273	0.129	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग)	कुडर बसवार व्यपवर्तन योजना के डूब एवं नहर क्षेत्र हेतु
			651	0.053	596	0.101	409	0.097		
			601	0.146	599	0.032	402	0.089		
			737	0.073	656	0.036	616	0.04		
			586	0.056	605/2	0.04	310/1	0.049		
			587	0.097	605/1	0.045	643	0.053		
			333	0.114	606/1	0.121	427	0.113		
			648	0.081	450	0.028	311	0.17		
410	0.101	619	0.097	607	0.081					
			626	0.061	472	0.109				

कुल खसरा क्रमांक 29 कुल रकबा 2.584 हेक्टेयर

(Signature)

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपायुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराए गए सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उदयपुर को पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।



(प्रदीप कुमार साहू)
भू-अर्जन अधिकारी
उदयपुर, सरगुजा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(डॉ. सारांश मित्तल)

कलेक्टर सरगुजा
एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

:: ज्ञापन ::

क्रमांक / /मु.लि./2019 उदयपुर दिनांक 05.08.2019.
प्रति,

उप नियंत्रक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
खैरागढ़ रोड, राजनांदगाँव, छ.ग.।

विषय :- राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में।


--0--

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-1, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के द्वारा अटेम व्यपवर्तन योजना के डूब एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम सानीबर्गा,, तहसील उदयपुर, जिला सरगुजा की कुल 8.594 हेक्टेयर निजी भूमि का अर्जन किया जाना है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन हेतु अधिसूचना प्रारूप की तीन प्रतियाँ संलग्न प्रेषित है। राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना का प्रकाशन कराकर राजपत्र की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
(प्रदीप कुमार साहू)
भू-अर्जन अधिकारी
उदयपुर, सरगुजा

पृ. क्र. / 1436- /मु.लि./2019 उदयपुर दिनांक 05.08.2019.
प्रतिलिपि :- 1. संचालक जनसंपर्क, महिला थाने के पास रायपुर को सूचनार्थ। अधिसूचना प्रारूप की पांच प्रतियाँ संलग्न प्रेषित है। दो स्थानीय समाचार-पत्रों में अधिसूचना का प्रकाशन कराकर समाचार-पत्र की एक-एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. कलेक्टर सरगुजा (भू-अर्जन शाखा) को सूचनार्थ एवं कलेक्टर महोदय के सूचना पटल पर प्रकाशनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 अम्बिकापुर सरगुजा को अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
✓ 4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अम्बिकापुर को जिले की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
5. तहसीलदार उदयपुर को अधिसूचना की चार प्रतियाँ सहित प्रेषित। संबंधित ग्राम तथा तहसील कार्यालय उदयपुर के सूचना पटल पर अधिसूचना का प्रकाशन कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


भू-अर्जन अधिकारी
भू-अर्जन अधिकारी
उदयपुर, सरगुजा

कार्यालय कलेक्टर, जिला सरगुजा एवं पदेन उपसचिव,
छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

:: प्रारंभिक अधिसूचना ::

दिनांक 07.2019.


रा.प्र.क्र./ /अ-82/2018-19 :: चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दिए अनुसूची के कॉलम (1) से (9) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (11) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 लिखा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम (10) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

:: अनुसूची ::

भूमि का विवरण										
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं	अर्जन हेतु प्रस्तावि भूमि के खसरा एवं रकबा का विवरण						धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
			खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)	खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)	खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सरगुजा	उदयपुर	सानीबर्बा	P-2073	0.873	P-2063	0.070	344/1	0.028	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)	अटेम व्यपवर्तन योजना के डूब एवं नहर क्षेत्र हेतु
			P-2060	0.836	P-2063	0.100	345	0.024		
			P-2073	1.043	411	0.008	346	0.008		
			P-2073	0.376	342/7	0.016	339/1	0.040		
			P-2063	0.200	342/6	0.016	350	0.012		
			P-2063	0.506	342/5	0.016	395	0.081		
			P-2073	0.769	342/1	0.081	355	0.044		
			P-2063	0.040	342/4	0.020	357	0.016		
			P-2073	0.202	342/3	0.024	358	0.044		
			P-2073	0.040	342/2	0.020	360	0.032		
			P-2073	0.769	341	0.044	168	0.041		
			P-2063	0.080	340	0.052	178/1	0.056		
			P-2063	0.100	359	0.024	187/1	0.016		
			P-2073	0.971	184/2	0.101	133	0.146		
P-2073	0.202	339/2	0.101	185	0.028					
186	0.081	187/4	0.012	187/3	0.060					
177	0.125									
कुल खसरा नम्बर 49			कुल रकबा 8.594							

fahy

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर आर्जेत की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराए गए सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उदयपुर को पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।



(प्रदीप कुमार साहू)
भू-अर्जन अधिकारी
उदयपुर, सरगुजा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(डॉ. सारांश मिश्र)
कलेक्टर सरगुजा
एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग